न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 11/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 02.02.2026 निर्णय दिनांक : 13.05.2026

उनवान

1. सीता राम मीणा पुत्र स्व0 रामजी लाल मीणा निवासी, बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।
2. भागीरथ मीणा पुत्र स्व0 रामकिशन मीणा निवासी मीणा कॉलोनी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
3. प्रहलाद मीणा पुत्र स्व0 जगदीश मीणा निवासी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. किशोर कुमार पुत्र स्व0 बालाजी सुरेला निवासी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
2. मुरारी पुत्र स्व0 पांचू राम निवासी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।
3. महेश पुत्र स्व0 पांचू राम निवासी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
4. कुलदीप पुत्र स्व0 पांचू राम निवासी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
5. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री विकास मिश्रा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जोगेन्द्र बंसल अधिवक्ता– अप्रार्थीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष वाद सीताराम वगै0 बनाम किशोर वगै0 वाद संख्या 543/2025 जिसके संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि राजस्व वाद प्रकरण संख्या 543/2025 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत अंकन को दुरुस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी साबित रिकॉर्ड एवं वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आराजी रही है, जिसे फर्जी, जाली एवं कूट रचित नुमाइश बयनामे के आधार पर गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया गया, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होकर उक्त कृषि भूमि के वैध मालिक एवं कब्जेदार हैं, ने स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेखों में सुधार हेतु उक्त वाद दायर किया है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जाली एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर की गई अवैध प्रविष्टियों को चुनौती दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी

जिला कलक्टर

अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) के प्रत्यक्ष उल्लंघन में है, क्योंकि उक्त धारा अनुसूचित जनजाति सदस्य से गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाती है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने रसूख, बाहुबल, धनबल एवं राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर कार्यवाही को प्रभावित करने, बार–बार छोटी–छोटी तारीखें लगवाने, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने तथा वादीगण को वाद वापस लेने हेतु धमकाने का प्रयास किया गया है। वादीगण द्वारा कई अवसरों पर प्रतिवादीगण एवं उनके भू–माफिया सहयोगियों को पीठासीन अधिकारी के चैंबर में आते–जाते देखा गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा खुले रूप से यह कहा गया कि वे अपने प्रभाव से वाद को अपने पक्ष में करवा लेंगे। इन परिस्थितियों के कारण वादीगण के मन में यह वास्तविक एवं सद्भावपूर्ण आशंका उत्पन्न हो गई है कि उन्हें उपखण्ड अधिकारी, बानसूर के समक्ष निष्पक्ष एवं निर्भीक सुनवाई प्राप्त नहीं होगी। न्याय के हित, न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को विधि द्वारा प्रदत्त संरक्षण को सुरक्षित रखने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अंतर्गत वर्तमान वाद को माननीय उपखंड अधिकारी, बानसूर से किसी अन्य सक्षम राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्धारण से पूर्व प्रार्थी/वादी द्वारा बेईमानीपूर्वक पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाकर प्रकरण को देरी करने के उद्देश से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। बिना पर्याप्त साक्ष्य पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया जाना न्याय के रास्ते में बाधा कारित करने के समान है। तहत न्यायालय में प्राथी/वादी स्वयं वाद में देरी कारित करने की गरज से नियमित रूप से पेशियां लेता रहा है तथा वादी एवं अधिवक्ता लम्बित प्रार्थना पत्र पर बहस करने से बचते रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वादी लगातार वाद प्रक्रिया को लम्बा एवं देरी करने का इच्छुक है तथा इसी आशय से हस्तगत याचिका प्रस्तुत की गई है। न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिया जाना एक औपचारिक कार्य है, जिसके विषय में टिप्पणी या आरोप स्वीकारीय नहीं है। धारा 235, 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार माननीय न्यायालय केवल अति विशेष परिस्थितियों में, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही प्रकरण के अन्यत्र विचारण की अनुमति दे सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई आपातकालीन परिस्थिति उपलब्ध नहीं है। लम्बित प्रकरण में प्रार्थी/वादी के पक्ष में प्रारम्भ से एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी है, जिसे प्रार्थी/वादी स्थगन की आड़ में न्यायालय को ब्लैकमेल एवं प्रतिवादी पक्षकार का शोषण कर रहा है। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि वादी पक्ष मुकदमेबाजी को बढ़ाने एवं प्रकरण में विलम्ब करने का इच्छुक है। न्याय न मिलने की केवल आशंका पर्याप्त नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस सामग्री, स्वतन्त्र साक्षी का बयान, शपथ–पत्र अथवा पूर्व शिकायत सम्बन्धी आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः हस्तगत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र, जो कल्पना एवं आशंका पर आधारित, तथ्यहीन एवं आधारहीन है तथा न्याय में विलम्ब एवं न्यायालय व पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी ने अपने बहस के पक्ष में आरआरटी 2023 (1) आरआरटी 479 एवं आरआरडी 14.03.2017 शीशराम बनाम करणसिंह नजीरें पेश की।

6. वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रत्युत्तर पेश किया।

7. उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने अपने पत्रांक रीडर/कोर्ट/2025/356 दिनांक 17.02.2026 में निवेदन किया कि प्रकरण में विधिसम्वत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वर्तमान में

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़